फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/76) **श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य बनाम श्रीमती कमला पुर्बिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.23	उपस्थिति दौराने बहसः-	

1. श्री लोकेश गहलोत - वकील अपीलार्थी

3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-41

अनवान

1. श्री शम्भुलाल पिता गोपीलाल ब्राहम्ण, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री मुकेश पिता गोपीलाल ब्राहम्ण, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
3. श्रीमती मंजु पत्नि कैलाश ब्राहम्ण, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
4. सुश्री पिंकी पुत्री कैलाश ब्राहम्ण, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
5. सुश्री रिंकु पुत्री कैलाश ब्राहम्ण नाबालिग बविलायत माता श्रीमती मंजु पत्नि कैलाश ब्राहम्ण खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
6. सुश्री खुशी पुत्री कैलाश ब्राहम्ण नाबालिग बविलायत माता श्रीमती मंजु पत्नि कैलाश ब्राहम्ण खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
7. श्रीमती प्रेमी पुत्री गोपीलाल ब्राहम्ण, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
8. श्रीमती बदामी पुत्री गोपीलाल ब्राहम्ण, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

1. श्रीमती कमला पत्नि शोभालाल पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
2. सुश्री काली पुत्री शोभालाल पुर्बिया गाडरी बविलाया माता श्रीमती कमला पत्नि शोभालाल पुर्बिया, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
3. श्री जगदीश पिता शोभालाल पुर्बिया गाडरी बविलाया माता श्रीमती कमला पत्नि शोभालाल पुर्बिया, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
4. श्रीमती पप्पुडी पुत्री खेमा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
5. श्री मोहन पिता माधु पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
6. श्रीमती बाली पत्नि खेमा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
7. श्रीमती रेखा पुत्री शोभालाल पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
8. श्री शंकर पिता माधु पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
9. श्री शांतिलाल पिता खेमा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
10. श्री सत्यनारायण पिता खेमा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
11. श्रीमती सोसर पत्नि माधु पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
12. श्रीमती तेजुडी पुत्री गिरधारी पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
13. श्रीमती नन्दु पुत्री ऊंकार पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
14. श्री नाथु पिता किशना पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
15. श्री नाना पिता ऊंकार पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
16. श्री मीठू पिता ऊंकार पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
17. श्रीमती मोहनी पत्नि किशना पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
18. श्री रामेश्वर पिता दल्लीचन्द पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
19. मृतक श्रीमती कंकु पत्नि रामचन्द्र जी पुर्बिया गाडरी के बजाय
    19.1. श्री लेहरू पिता रामचन्द्र जी पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
20. श्री गोमा पिता कजोड़ पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
21. श्री लेहरू पिता रामचन्द्र पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
22. श्रीमती रतनी पिता माधु पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
23. श्री देवीलाल दत्तक पुत्र प्यारा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
24. श्रीमती चांदी पत्नि खुमा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
25. श्री जमनालाल पिता जवारा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
26. श्री देवीलाल पिता खुमा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
27. श्री नाथु पिता चतरू पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
28. श्रीमती रतनी पुत्री जवारा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
29. श्रीमती शंकरी पुत्री जवारा पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
30. श्री हरलाल पिता चतरू पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
31. श्री मोहन पिता लेहरू पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
32. श्रीमती चांदी पुत्री भैरू पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
33. श्री पीरू दत्तक पुत्र भैरू पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
34. श्रीमती बरजी पत्नि भागीरथ पुर्बिया गाडरी, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
35. ग्राम सहकारी समिति शाखा बुढ़, खारखन्दा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
36. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
37. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बुढ़, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
38. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक कोटा बुन्दी रोड़, शाख चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
39. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा राश्मी, तहसील राश्मी जिला चित्तौड़गढ़
40. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रूद, तहसील राश्मी जिला चित्तौड़गढ़
41. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी**

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/76) **श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य बनाम श्रीमती कमला पुर्बिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, बप्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 29.07.2022 (अनवान श्रीमती कमला पुर्बिया गाडरी व अन्य बनाम श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 14.02.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, बप्रकरण संख्या 10/2021 निर्णय दिनांक 29.07.2022 (अनवान श्रीमती कमला पुर्बिया गाडरी व अन्य बनाम श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 34 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर कथन किया कि ग्राम खारखन्दा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1811 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1813 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1814 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1819 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1820 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1815 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1816 रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। ग्राम खारखन्दा तहसील गंगरार का संवत् 2033 में भु-प्रबन्ध विभाग द्वारा भु-प्रबन्ध किया गया, जो भु-प्रबन्ध के दौरान वर्तमान आराजी संख्या 1811 रकबा 0.33 हैक्टेयर जो गत आराजी संख्या 1180/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1178 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1179/2 रकबा 1 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से बनी है जिसका हैक्टेयर में नाप 0.37 हैक्टेयर बनता है। जो गत के मुकाबले 0.02 हैक्टेयर कम है एवं वर्तमान आराजी संख्या 1175 मीन रकबा 15 बिस्वा से बनी है। जिसका हैक्टेयर में नाम 0.16 हैक्टेयर बनता है, जो वर्तमान में 0.03 हैक्टेयर कम दर्ज है। वर्तमान आराजी नम्बर 1819 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1820 रकबा 0.37 जो गत आराजी नम्बर 1180/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1179/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, जिसका हैक्टेयर में नाप 0.41 हैक्टेयर बनता है, जो गत के मुकाबले वर्तमान में 0.02 हैक्टेयर कम दर्ज है। वर्तमान आराजी संख्या 1815 रकबा 0.07 हैक्टेयर व आराजी संख्या 1816 रकबा 0.04 हैक्टेयर जो गत आराजी संख्या 1176/1 रकबा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 1176/2 रकबा 6 बिस्वा, जिसका हैक्टेयर में नाप 0.12 हैक्टेयर बनता है, जो वर्तमान में गत के मुकाबले 0.01 हैक्टेयर कम दर्ज है। इस प्रकार उनके गत रकबे के मुकाबले 0.08 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज रेकार्ड है। उनका रकबा प्रतिवादी (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) की आराजी संख्या 1817 में अधिक दर्ज कर दियाा है। प्रतिवादी (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) की वर्तमान आराजी संख्या 1817 रकबा 0.21 हैक्टेयर दर्ज है जो भुप्रबन्ध पुर्व गत आराजी संख्या 1181 रकबा 13 बिस्वा से बनी है है जिसका हैक्टेयर में नाम 0.13 हैक्टेयर बनता है, जो गत मुकाबले वर्तमान में 0.08 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज है। इसी प्रकार वर्तमान नक्शा में भी गत नक्शें के मुकाबले अधिक कायम कर दिया है। आराजी संख्या 1825 के उत्तरी पूर्वी दिशा में व आराजी संख्या 1823 के पूर्वी दिशा में रास्ता दर्ज होने पर भी सेटलमेंट के दौरान नक्शें में रास्ता को उनकी आराजीयात में मिलाकर दक्षिण दिशा में नक्शा कम कर दिया है व प्रतिवादी (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) की आराजी संख्या 1817 की उत्तरी पूर्वी दिशा में नक्शा बढ़ा दिया गया है व आराजी संख्या 1817 के दक्षिण दिशा में भी नक्शा बढ़ा दिया है, जिस कारण गत नक्शें अनुसार वर्तमान नक्शा व गत आराजीयात का रकबा के अनुसार वर्तमान आराजीयात के रकबे के अनुसार दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/76) **श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य बनाम श्रीमती कमला पुर्बिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	• उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 29.07.2022 पारित कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 02.02.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-41 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना के अनुपस्थित। दिनांक 10.02.2023 को अधिवक्ता श्री पी.सी. पालीवाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश पर अन्य रेस्पोडेंटस् के वकालतपत्र प्रस्तुत करने का अवसर चाह कर पुनः बहस सुने जाने का निवेदन किया गया, परन्तु निर्णय दिनांक तक कोई वकालत पत्र पेश नहीं किया गया। पत्र में किन प्रत्यर्थीगण की ओर से वकालत पत्र पेश किया जाना है, अंकित नहीं किया गया है। न ही पत्र किस धारा के तहत पेश किया गया, अंकित किया गया है। प्रकरण में बहस सुनी जा पत्रावली निर्णय हेतु नियत की जा चुकी है, ऐसे में इस प्रकार के आवेदन/पत्र स्वीकार्य नहीं है। एआईआर 2001 राजस्थान 71 में माननीय न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि- Civil P.C. (5 of 1908), O.20.R.1-Pronouncement of Judgement – Filing of application under O.13, R.2 after arguments were over – Not permissible as there is no stage in between closure of case for judgement and pronouncement of judgement. हस्तगत प्रकरण में बहस सुनी जा चुकी है और पत्रावली निर्णय हेतु नियत की जा चुकी है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में प्रार्थना पत्र पत्रित किया जाकर प्रकरण/अपील निम्नानुसार निस्तारित की जा रही है। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 34 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी-1 से 34 ने कोई सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि इस प्रकार की कोई गलती हुई है। राजस्व रेकार्ड बिल्कुल सही है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है। भुप्रबन्ध विभाग ने कोई गलती नहीं की है। अपीलार्थी की भूमि अपीलार्थी के पास है और प्रत्यर्थी-1 से 34 की भूमि उनके पास मौजुद है। राजस्व नक्शा भी बिल्कुल ही सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में न तो तहसीलदार से कोई रिपोर्ट तलब की कि वास्तव में रेकार्ड में किस प्रकार से गलती हुई है और यदि हुई है तो किस प्रकार। धारा 136 के प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तलब करना आज्ञापक प्रावधान है, बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के यह कयास अधीनस्थ न्यायालय लगाने में सक्षम नहीं है कि कमी रकबा किस प्रकार हुआ है। वांछित अनुतोष धारा-136 के दायरे से बाहर है। प्रत्यर्थी-1 से 34 कोई अनुतोष चाहते भी है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध घोषणा का वाद लाना चाहिये था। उक्त तथ्य बिना साक्ष्य साबित होने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रिपोर्ट तलब किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई आदेश पारित ही नहीं किया और सीधे ही अंतिम निस्तारण बिना साक्ष्य के कर दिया। धारा-136 के प्रार्थना पत्र में केवल मात्र स्वीकृत त्रुटि की शुद्वि की जा सकती है, न की रकबा पूर्ति की जा सकती है। कमी रकबा के लिए अलग से घोषणा के प्रावधान है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. 2022(4) डीएनजे (राज) 1400 2. 2022(3) डीएनजे (राज) 1091 3. आरआरटी 2019(1) पेज 219 4. आरआरटी 2015(1) पेज 10 5. आरआरटी 2021(2) पेज 963	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/76) **श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य बनाम श्रीमती कमला पुर्बिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रत्यर्थी-41 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 34 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट के प्रस्तुत कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती चाही गई। उक्त प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट का स्वीकार कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती एवं नक्शा तरमीम के आदेश प्रसारित किये गये, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 में प्रत्यर्थी-1 से 34 द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि उनके गत रकबे के मुकाबले 0.08 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज रेकार्ड है। उनका रकबा प्रतिवादी (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) की आराजी संख्या 1817 में अधिक दर्ज कर दियाा है। प्रतिवादी (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) की वर्तमान आराजी संख्या 1817 रकबा 0.21 हैक्टेयर दर्ज है जो भुप्रबन्ध पुर्व गत आराजी संख्या 1181 रकबा 13 बिस्वा से बनी है जिसका हैक्टेयर में नाम 0.13 हैक्टेयर बनता है, जो गत मुकाबले वर्तमान में 0.08 हैक्टेयर भूमि अधिक दर्ज है। इसी प्रकार वर्तमान नक्शा में भी गत नक्शें के मुकाबले अधिक कायम कर दिया है। आराजी संख्या 1825 के उत्तरी पूर्वी दिशा में व आराजी संख्या 1823 के पूर्वी दिशा में रास्ता दर्ज होने पर भी सेटलमेंट के दौरान नक्शें में रास्ता को उनकी आराजीयात में मिलाकर दक्षिण दिशा में नक्शा कम कर दिया है व प्रतिवादी (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) की आराजी संख्या 1817 की उत्तरी पूर्वी दिशा में नक्शा बढ़ा दिया गया है व आराजी संख्या 1817 के दक्षिण दिशा में भी नक्शा बढ़ा दिया है, जिस कारण गत नक्शें अनुसार वर्तमान नक्शा व गत आराजीयात का रकबा के अनुसार वर्तमान आराजीयात के रकबे के अनुसार दुरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र पर वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए उज्र प्रस्तुत किया कि कौनसे आराजी में से कितना रकबा कम हुआ है तथा कौनसे नक्शें में से किस तरफ आराजी कम हुई है या बढ़ी है, इस हेतु मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं प्रार्थीगण साबित करावें, दस्तावेजों के अभाव में साबित किया जाना असंभव है, गत नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में कोई अन्तर नहीं है, प्रार्थीगण उनकी भूमि आराजी संख्या 1817 में अवांछित तरिके से रकबा पूर्ति कराना चाहते है। उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट के वांछित अनुतोष पर सभी पक्षकारान के मध्य स्वीकरोक्ति नहीं होकर विवाद की स्थिति और जांच का विषय है। हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है । “136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register: Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties." उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/76) **श्री शम्भुलाल ब्राहम्ण व अन्य बनाम श्रीमती कमला पुर्बिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दोरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण ऐसी त्रुटि से संबंधित नहीं है, जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो। इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णनानुसार अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत कथन विरोधाभासी है। धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही केवल समरी कार्यवाही है इसमें केवल तकनीकी भूल व दोनों पक्षकारों की सहमति से ही नक्शे या रेकर्ड में सुधार किया जा सकता है। जहां किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता हो या दोनों पक्षों में विवाद हो वहां इन्द्राज दुरूस्ती या नक्शे में दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में धारा-136 के प्रावधान लागु नहीं होते है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण नक्शे में कथित त्रुटि से भी सम्बन्धित है, जो भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत ही दुरूस्ती योग्य है। धारा-136 के प्रार्थना पत्र में केवल मात्र स्वीकृत त्रुटि की शुद्धि की जा सकती है, न की रकबा पूर्ति की जा सकती है। कमी रकबा के लिए अलग से घोषणा के प्रावधान है। चूँकि विधिक प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति अपना राइट या टाइटल केवल दावे से ही तय करा सकता है। जो दोनो पक्षों की जबानी व दस्तावेजी शहादत लेकर हर पक्षकार को क्रोस करने का अवसर देकर तय किए जावेगें। इस मामले में धारा 136 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि सारा मामला साक्ष्य पर निर्भर करता है। धारा-136 की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रकृति की है और इसे वाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वस्तुस्थिति को स्पष्ट किये जाने बाबत तहसीलदार से प्रार्थना पत्र धारा-136 पर रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उपरोक्तानुसार, यह प्रकट होता है कि राजस्व अभिलेख दुरस्ती एवं नक्शा दुरस्ती हेतु आवेदन पर वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा समुचित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के अभाव में आपत्ति जाहिर की थी, तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा-136 के आज्ञापक प्रावधानों के तहत संबंधित तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी जो नहीं की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है, वह इस प्रकरण पर चस्पा होते है क्योंकि इस मामलें में कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हो। अभिलेख के निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाई गई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट भी तहसीलदार स्तर से प्राप्त नहीं की गई। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-136 को समुचित जांच न करा, विधिक स्थिति का परिक्षण न कर, अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार कर वांछित इन्द्राज दुरस्ती का आदेश प्रसारित करने का निर्णय पारित किया, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं समझता है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलार्थी स्वीकार** की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, गंगरार का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2022 अपास्त किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	